न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जयपुर

अपील संख्या 25/2018 जिला अलवर ।

1. अमर सिंह पुत्र श्री गोविन्द राम जाति चमार निवासी कुतवापुर तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ (हरियाणा)।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. भरता पुत्र चन्दर जाति मेघवाल निवासी डेलावास तहसील मुण्डावर जिला अलवर।
2. अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)।
3. तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर (राज0)

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 07.04.2017 अति.जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री अनुप अग्रवाल।
2. वकील रेस्पोडेंट 01 श्रीराम जोशी अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक–09.02.2021

यह द्वितीय अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर द्वारा शीर्षक अपील भरता बनाम अमर सिंह में पारित निर्णय दिनांक 07.04.2017 के द्वारा अपील स्वीकार कर तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर के आदेश दिनांक 29.05.2015 बाबत नामांतरकरण संख्या 471 वाके ग्राम ढेलावास तहसील मुण्डावर जिला अलवर निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर को रिमांड किया गया है, से व्यथित होकर अपीलान्टस अमरसिंह द्वारा प्रस्तुत पेश की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेंटन संख्या 01 अनुपस्थित। अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि रेस्पोडेंट नम्बर 01 ने जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 08.12.2000 को अपीलार्थी अमर सिंह को विकय कर दी थी, जिसका प्रतिफल रेस्पोडेंट को वक्त बैयनामा दे दिया गया था। परन्तु उक्त भूमि का समय गुजरने बाद जमीन के भाव बढ जाने के कारण रेस्पोडेंट (भरत) के मन में बदनियति आ गयी है और अधिक रूपये लेने की वजह से अपीलार्थी (अमरसिंह) की कयशुदा भूमि को हडपना चाहता है। रेस्पोडेंट द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में रजिस्टर्ड विकय पत्र तस्दीक किया गया है। जिसमें प्रतिफल प्राप्त कर कब्जे सौंप देने का अंकन किया है तथा समिति के समक्ष अपीलार्थी ने अपने समस्त दस्तावेजात जनअभाव अभियोजग निराकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत कर समिति को आश्वत करने के उपरानत ही समिति द्वारा तहसीलदार को निर्देशित किया गया, जिसके अनुसरण में उक्त इंतकाल संख्या 471 दिनांक 29.5.2015 खोला गया, जो पूर्णतः विधि सम्मत है, इंतकाल दर्ज एवं मंजूर करते समय कब्जे के संबंध में पुनः सत्यापन करना आवश्यक नही है तथा पटवारी से रिपोर्ट ली जाकर ही उक्त नामान्तकरण खोला गया है। रेस्पोडेंट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील में लेण्ड होल्डर तहसीलदार को पक्षकार नही बनाया गया है जबकि तहसीलदार उक्त प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है, तथा तहसीलदार के आदेश को चुनौती दी गयी है। उक्त तथ्यो की अनदेखी करते हुये अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गलत रूप से आपेक्षित निर्णय दिनांक 07.04.2017 पारित किया गया है जो अपास्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेंट संख्या 1 ने रजिस्टर्ड

(सेवा राम स्वामी)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner

बेचाननामा का खण्डन मात्र मौखिक रूप से किया है जबकि अपीलार्थी ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रजिस्टर्ड विक्रयनामा दिनांक 08.12.2000 की प्रति प्रस्तुत की थी जिसको अनदेखा कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र रेस्पोडेंट संख्या 1 के मौखिक कथनो के आधार पर इंतकाल संख्या 471 निरस्त कर भारी भूल की है। उनका कथन है कि अधिकारो की घोषणा के संबंध में प्रकरण में सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है। जबकि अधिनस्थ न्यायालय ने आपेक्षित निर्णय के द्वारा इंतकाल संख्या 471 को जिस प्रकार निरस्त किया है वह विधि विरूद्ध है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने अनेको निर्णय में यह प्रतिपादित किया है कि इंतकाल संबंधित कार्यवाही मात्र फिस्कल प्रासिडिंग है। जिसमें किसी के अधिकार तय नही किये जा सकते । इसके अतिरिक्त भी जो भी प्रकरण रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा लम्बित बताये गये है। उनका वर्तमान इंतकाल खुल जाने से कोई फर्क नही पडता है, ना ही वर्तमान में रेस्पोडेंट संख्या 1 के पक्ष में किसी भी प्रकार की कोई साक्ष्य मौजूद है। उक्त आपेक्षित निर्णित पारित करते समय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा यह भी स्पष्ट किया कि उपलब्ध दस्तावेजात से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी का विक्रय हो चुका है, उसके उपरान्त भी यह आपेक्षित निर्णय दिनांकित 07.04.2017 गलत रूप से पारित किया गया है जो अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.04.2017 निरस्त फरमाया जावे तथा नामान्तकरण संख्या 471 दिनांक 29.5.2015 वाके ग्राम ढेलावास तहसील मुण्डवार जिला अलवर अपीलार्थी के पक्ष में बहाल रखा जावे। अधिवक्ता अपीलांटस ने प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम के तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया है कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 07.04.2021 का है लेकिन अपीलांट को जानकारी का अभाव के कारण अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी नही थी तथा अधिनस्थ न्यायालय की जानकारी दिनांक 17.09.2018 को हुई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का प्रार्थना पत्र धारा 05 भी स्वीकार फरमाया जावे।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को निर्णित करना हत उचित समझते है। प्रकरण के तथ्यों तथा अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये तथा रेस्पोंडेन्ट द्वारा इसके विरोध में कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करने एवं मियाद के संबंध में नरम रूख अपना कर प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाता है। प्रकरण में मुख्य विवाद प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 471 दिनांक 29.05.15 वाकै ग्राम ढेलावास तहसील मुण्डवार जिला अलवर के संबंध में है। तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर के उक्त निर्णय से व्यथित होकर रेस्पोडेंट्स संख्या 1 के द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरण 471 दिनांक 29.05.2015 को न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर के न्यायालय में चुनौती दी गई। जिस पर न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर ने निर्णय दिनांक 07.04.2017 के द्वारा अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार मुण्डावर के आदेश दिनांक 29.05.2015 नामान्तकरण संख्या 471 ग्राम ढेलावास तहसील मुण्डावर निरस्त किया जाकर पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर देकर पुनः निर्णय पारित करने हेतु तहसीलदार मुण्डावर को रिमाण्ड किया गया। अधिवक्ता अपीलांट का कथन था कि रेस्पोडेंट नम्बर 01 ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 08.12.2000 को अपीलार्थी अमर सिंह को विक्रय कर दी थी, जिसका प्रतिफल रेस्पोडेंट संख्या 1 को वक्त बैयनामा दे दिया गया था। तहसीलदार द्वारा नामान्तकरण संख्या 471 दिनांक 29.5.2015 वाके ग्राम ढेलावास तस्दीक गया, जो पूर्णतः विधि सम्मत है। उनका कथन था कि अधिकारो की घोषणा के संबंध में प्रकरण में सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है। जबकि अधिनस्थ न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय के द्वारा नामान्तकरण संख्या 471 वाके ग्राम ढेलावास तहसील मुण्डावर को जिस प्रकार निरस्त किया है वह विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में तहसीलदार मुण्डावर के आदेश दिनांक

(सेवा राम स्वामी)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner

29.5.2015 बाबत नामांतरकरण संख्या 471 वाके ग्राम ढेलावास तहसील मुण्डावर जिला अलवर के विरूद्व अपील पेश की गई । विवादित नामान्तकरण संख्या 471 वाके ग्राम ढेलावास तहसील मुण्डावर से संबंधित भूमि अपीलार्थी की रेस्पोडेंट संख्या 1 से जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 08.12.2000 से कयशुदा भूमि है जिसके संबंध में अपीलार्थी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रजिस्टर्ड विकयनामा दिनांक 08.12.2000 की प्रति भी पेश गई थी जिसकी अनदेखी कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित कर अहम भूल की हैं। विकय पत्र के माध्यम से खरीदशुदा भूमि, जिसमें कब्जा हस्तानान्तकरण का रपष्ट उल्लेख है, के कब्जे आदि के संबंध में जांच किया जाना आवश्यक नही है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गई थी कि उनके द्वारा भूमि का विकय नही किया गया है तथा फर्जी बयनामे के आधार पर विवादित नामान्तकरण संख्या 471 तस्दीक करवाया गया है। जबकि वर्तमान अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पंजीकृत बयनामा दिनांक 08.12.2000 की प्रति प्रस्तुत की गई है। जिसका उल्लेख अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय में भी किया गया है। पंजीकृत बयनामा की सत्यता की जांच राजस्व न्यायालय के क्षैत्राधिकार में नही है, न ही अपीलांट (प्रत्यर्थी संख्या 01) द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत किये गये है। जहां तक विवादित भूमि के हक अधिकारो संबधी वाद लम्बित होने का प्रश्न है, वह नामान्तकरण की प्रकिया को प्रभावित नही करता है क्योंकि नामान्तकरण से हक अधिकारो का विनिश्चयन नही होता है। अतः उपर्युक्त विवेचन से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिक बल रहित है तथा अपास्त किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर परीणामतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.04.2017 अपास्त किया जाता है तथा प्रश्नगत नामान्तकरण सख्या 471 दिनांक 29.5.2015 वाके ग्राम ढेलावास तहसील मुण्डावर जिला अलवर यथावत रखा जाता है।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो।

(सेवा राम स्वामी)
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 09.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सेवा राम स्वामी)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner